

आपराधिक प्रक0क्क0--1135/15

संस्थित दिनाँक-07.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा जिला-मिण्ड (म०प्र०) विरुद

गंघर्व पुत्र दुण्डेराम जाटव उम्र 52 साल निवासी वार्ड क0 18, टावर के पास ग्वालियर रोड गोहद चौराहा जिला मिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::--

[आज दिनांक 22.09.2017 को घोषित]

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की घारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि वह दिनांक 29.10.15 को 19:40 बजे, मिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुघ तथा एक जिंदा कारतूस अवैघ रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया।


अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 29.10.15 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ एएसआई सुरेशदत्त मिश्रा इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुए। दौराने इलाका गश्त सूचना मिली कि हाईवे मोड पर नावली रोड पर एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति इधर उधर चलने लगा जिसे घेरकर पकडा। नाम पता पूछने पर अमियुक्त ने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर पैंट के बांयी तरफ कमर में एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसे खोलकर देखा तो एक राउण्ड लगा पाया। आग्नेय आयुघ रखने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना पाया। मौके पर जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया। थाने पर आकर अप0क0-252/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अमियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अमियोगपत्र पेश

किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क्0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या अभियुक्त दिनांक 29.10.15 को 19:40 बजे, भिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय अर्थु तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया ?


<u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेश मिश्रा अ०सा० 1, अजय शर्मा अ०सा० 2, महेन्द्र सिंह मदौरिया अ०सा० 3, मूलचंद अ०सा० 4, किशनलाल अ०सा० 5, जितेन्द्रसिंह गुर्जर अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
- 6. जब्तीकर्ता एएसआई सुरेश मिश्रा अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 29.10.15 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्र० 893 पर खानगी डालकर मय फोर्स के शासकीय वाहन के इलाका भ्रमण हेतु गए थे। इलाका भ्रमण के दौरान छीमका हाईवे के पास सूचना मिली कि हाईवे रोड के बगल से नावली मोड पर एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वे नावली मोड पर मय फोर्स के पहुचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर इघर उधर चलने लगा जिसे मय फोर्स की मदद से पकडा तो अभियुक्त ने अपना नाम व पता बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके पैंट की बांयी कमर में एक कट्टा 315 बोर का खुरसे मिला जिसे खोलकर देखने पर उसके चैम्बर में एक राउण्ड मिला। जिसके संबंध में उसके द्वारा लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना बताया। कथन करता है कि शाम 7:40 बजे साक्षियों के समक्ष उक्त कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्दी पत्रक प्रоपीо 1 बनाया और गिर० कर गिर० पत्रक प्र०पी० 2 बनाया था जिन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। तत्पश्चात् थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हुए उक्त रिपोर्ट प्रपी० 3 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
 - 7. प्रकरण में जब्ती कार्यवाही के साक्षी आरक्षक मूलचंद तथा आरक्षक जितेन्द्रसिंह गुर्जर है। मूलचंद अ०सा० 4 एवं जितेन्द्रसिंह अ०सा० 6 दोनों द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में जब्तीकर्ता अधिकारी एएसआई सुरेश मिश्रा के कथनों का समर्थन करते हुए नावली मोड पर अभियुक्त के अवैध कट्टा व कारतूस लिए पकड़े जाने का समर्थन किया है। उक्त साक्षियों ने जब्ती पत्रक, गिर० पत्रक क्रमश



प्रपी0 1 व 2 पर अपने बी से बी तथा सी से सी माग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अमियुक्त की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अमिकिथत जब्ती स्थान ग्वालियर मिण्ड राजमार्ग पर नावली मोड बताया गया है जो कि सार्वजिनक स्थान है किन्तु कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। जब्तीकर्ता के प्रतिपरीक्षण की किण्डका 4 के संबंध में ध्यान दिलाते हुए यह निवेदन किया कि साक्षी ने 30–35 मिनिट जब्ती स्थल पर रूकना बताया फिर भी कोई स्वतंत्र व्यक्ति परीक्षित नहीं कराया गया जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हैं, अतः अभियोजन का मामला विश्वसनीय न होने का तर्क किया है।

🗱 ्र प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि जब्ती स्थल नावली मोड तिराहा बताया है तो कि राजमार्ग के बगल में सार्वजनिक स्थान के रूप में हैं, किन्तु जब्तीकर्ता अधिकारी सुरेशदत्त िमिश्रा अ0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन किया है कि जब उन्होंने कार्यवाही की तब कोई व्यक्ति नहीं मिला। मूलचंद अ०सा० ४ ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में कथन किया है कि नावली मोड पर बस का कोई स्टॉपेज स्थाई नहीं हैं और स्वतः कथन किया है कि बस की सवारियां उतरती व चढती होंगी तो बस रूकती होंगी। जितेन्द्र अ०सा० 6 कण्डिका 2 में बताता है कि जब नावली मोड पर पहुंचे तब एक ही व्यक्ति खडा मिला था। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण ने अपने अमिसाक्ष्य में घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति न होने के आघार पर जब्ती साक्षी न बनाए जाने का आधार बताया है। साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियोजन के मामले को पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर भी दोषसिद्धि की जासकती है। हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म०प्र0 राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अमिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान० सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारूजी जाट व अन्य विरूद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस०सी०सी० 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरूद गुजरात राज्य (2003) 10 एस0सी0सी0 198 तथा पी0पी0 वीरन विरूद केरल राज्य (2001) 9 एस०सी०सी० 57 पर आस्था व्यक्त की है। न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरूद स्वराष्ट राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अमिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरूद राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाया सदाशिव नन्दोस्कर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1998 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम



स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धात परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थित में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

- प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्ती का समय शाम 7:40 बजे का दर्शाया है जो कि रात्रि का आरंम काल है और रात्रि के समय सार्वजनिक स्थानों पर भी आमजन की मौजूर्य हर समय होना संभव नहीं हैं। ऐसी दशा में मात्र स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जब्ती व गिरा की अस्मि न कराया जाना अभियोजन के मामले के प्रति घातक नहीं हैं। प्रकरण में इस तथ्य पर विचार कैंग्रे हैं कि क्या पुलिस साक्षियों की साक्ष्य एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि में विश्वसनीय हो सकती है। जब्तीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 1 अपने अमिसाक्ष्य में जब्ती दिनांक 29.10.15 को थाने से रोजनामचा सान्हा क0 893 पर रवानगी डालकर मय फोर्स के रवाना होने का तथ्य बताते हैं, इसका उल्लेख प्राथमिकी प्र0पी0 3 में भी स्पष्ट रूप से किया गया है। साक्षी उक्त जब्ती व गिरा की कार्यवाही के उपरांत थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में प्र0पी0 3 की प्राथमिकी में उसे दर्ज करने का सुंसगत रोजनामचा सान्हा क0 897 अंकित है। मूलचंद अ०सा० 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 तथा जितेन्द्र अ०सा० 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि के संबंध में दरोगाजी अर्थात एएसआई सुरेशदत्त मिश्रा द्वारा प्रविष्टि के संबंध में बता पाने का कथन करते हैं। चूंकि मूलचंद अ०सा० 4 एवं जितेन्द्र अ०सा० 6 आरक्षक हैं, ऐसे में उन्हें रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं हैं। ऐसे में सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 1 द्वारा अभिकथित रोजनामचा सान्हा के संबंध में कथन किया है, प्र0पी0 3 के दस्तावेज से समर्थित है व उस पर संदेह का कोई युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं हैं।
 - 10. प्रकरण में जब्दीकर्ता सुरेश मिश्रा अ०सा० 1 न्यायालय में साक्ष्य में यह बताते हैं कि साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत आर्टीकल ए1 का कट्टा तथा ए2 का कारतूस वे ही है जो कि अमियुक्त से उसके द्वारा समक्ष गवाहान जब्द किए गए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में प्र0पी० 1 पर जो नमूना सील अंकित है वह कट्टा व कारतूस पर अंकित न होना स्वीकार करते हैं और स्वतः बताते हैं कि जांच हेतु कट्टा कारतूस मेजे गए जहां उक्त सील निकल गयी होगी, पुलिस लाईन की सील लगी है। साक्षी अजय शर्मा अ०सा० 2 आरमोरर हैं जो कि मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि प्रकरण में जब्दशुदा कट्टा व कारतूस जांच हेतु सीलबंद प्राप्त हुआ था और उन्होंने सील को खोलकर देखा था, तत्पश्चात् जांच उपरांत कट्टा व कारतूस को सील नमूना चस्पा कर थाना गोहद चौराहा वापस मेज दिया था। साक्षी कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि कट्टा व कारतूस जिस कपड़े में बंद होता है

उस पर चपडी की सील थाने की लगी होती है और स्वीकार करते हैं कि जब उनके द्वारा सील खोली गयी तो उक्त चपडी की सील निकल गयी। इस प्रकार से अमिकथित नमूना सील जो प्र0पी0 1 में कॉलम नं0 13 में अंकित है, उसका आर्टीकल ए1 व ए2 पर अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण अभियोजन साक्ष्य से समर्थित है।

- 11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि घटना दिनांक को अमियुक्त व उसके लड़के को पुलिस सुबह 5 बजे घर से पकड़कर ले आई थी और अमियुक्त को ड़कैती के प्रकरण में फंसा देने की धमकी दी। प्रकरण के अमिलेख पर अभियुक्त को सुबह 5 बजे उसके घर से गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कोई भी परिवाद अथवा शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की गयी हो, ऐसा कोई भी तथ्य अमिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में अभिकथित बचाव के संबंध में लिया गया आधार किसी विश्वसनीय तथ्य के आधार पर समर्थित नही हैं। अभियोजन की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य या विरोधामासी परिस्थित उत्पन्न नहीं हुई है जिसके आधार पर अमियुक्त से अभिकथित कट्टा व कारतूस जब्द किए जाने के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हो। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त दिनांक 29.10.15 को 19.40 बजे, मिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1—बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।
 - 12 अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।
 - 13. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिमाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

२२ १५०० प्राप्त कर्म क्रिक्स इक्किल पुष्ता कर्म क्रिक्स न्यायिक मुजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्ड मर्च्यप्रदेश

पुनश्चः

14. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के मजदूर होने के आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

15. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 52 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीब्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25—(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा एक वर्ष के सम्भम कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को एक माह का सम्भम कारावास मुगताया जावे।

16. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी मिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायाल के आदेश का

अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

प्रकेश गुप्ता न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेष्टी गोहर्दा जिला भिण्छ सध्यप्रदेशम व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।